

**कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), मध्यप्रदेश,
आडिट भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर**

No./Admn/LC/RCB&KI,Nagpur/2025-26/ दिनांक: -15-01-2026

कार्यालय आदेश- 202

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा - प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर में कार्यरत अधिकारियों (अनुलग्नक 'क' के अनुसार) का चयन, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर में दिनांक 19.01.2026 से 21.01.2026 तक आयोजित होने वाले "Data Analytics with Tableau" हेतु किया गया है। सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुलग्नक "क" में निर्दिष्ट दौरा कार्यक्रम का अनुसरण कर क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर, 26/1, सिविल लाइन्स - 440001 में प्रातः 09:00 बजे प्रशिक्षण के प्रथम दिन (दिनांक 19.01.2026) रिपोर्ट करना सुनिश्चित करें। उक्त प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है। प्रशिक्षण के बाद लौटने पर वे प्रशिक्षण उपरान्त प्राप्त प्रमाणपत्र विधि कक्ष को प्रस्तुत करेंगे। प्रशिक्षण से सम्बंधित क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर से प्राप्त दिशानिर्देश संलग्न है।

Officials working in the O/o the Principal Accountant General (Audit-I), Madhya Pradesh, Gwalior (As per Annexure 'A') has been selected for "Data Analytics with Tableau" to be organized from 19.01.2026 to 21.01.2026 at Regional Capacity Building & Knowledge Institute, Nagpur. The Officials concerned are directed to follow the tour program specified in Annexure "A" and ensure to report on the first day (i.e. 19.01.2026) of training at 09:00 AM at Regional Training Institute, Nagpur, 26/1, Civil Lines - 440001. It is mandatory to attend the said training. On returning after training, they will submit the certificate obtained after training to Legal Cell. The guidelines received from the Regional Capacity Building and Knowledge Institute, Nagpur regarding the training is enclosed.

(महालेखाकार महोदय द्वारा अनुमोदित)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

हस्ता/-

उप महालेखाकार (प्रशासन)

No./Admn/LC/RCB&KI,Nagpur/2025-26/ दिनांक: -15-01-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु:-

1. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर, 26/1, सिविल लाइन्स - 440001,
2. सचिव/ प्रधान महालेखाकार,
3. उप महालेखाकार/AMG-II,AMG-IV,AMG-V - कृपया सम्बंधित अधिकारियों को उक्त प्रशिक्षण में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित करें,

4. सचिव/उप महालेखाकार - AMG-II,AMG-IV,AMG-V - कृपया नामित अधिकारियों को सूचित करें,
5. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/SMU
6. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/IS Wing - कृपया उक्त कार्यलय आदेश को इंटरनेट एवं इंट्रानेट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
7. श्री उत्कर्ष यादव, स.ले.प.अ.- कृपया इंटरनेट व इंट्रानेट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
8. सम्बंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ,
9. सूचना पटल।

हस्ता |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

अनुलग्नक "क "

स.क्र.	प्रशिक्षण का विषय	अधिकारी का नाम (श्री)	प्रशिक्षण की अवधि	ग्वालियर/ दौरा स्थल से नागपुर हेतु प्रस्थान	नागपुर से दौरा स्थल/ ग्वालियर हेतु प्रस्थान
1.	Data Analytics with Tableau	1-Rakesh Kumar Meena, AAO, (02/11236) (AMG-2) 2-Bharat Singh Meena, AAO, (02/10871) (AMG-3) 3- Deepak Dewaliya, AAO,(02/11193) (AMG-3)	19.01.2026 to 21.01.2026	17.01.2026 or 18.01.2026	21.01.2026 or 22.01.2026

हस्ता | -

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/विधि कक्ष

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, आई ए एवं ए डी, नागपुर

सं. आरसीबीकेआई/नाग/2025-26/सत्र समय/ 35
दिनांक 06.05.2025

परिपत्र

विषय: क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर में सत्र समय

आरसीबीकेआई में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह के कार्यान्वयन के कारण इस संस्थान में आयोजित सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सत्र समय निम्नानुसार होगा:

पूर्वाह्न सत्र	9.30 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक	चाय का अवकाश 11.30 बजे से 11.45 बजे तक
दोपहर का भोजनावकाश दोपहर 1.15 बजे से दोपहर 2.15 बजे तक		
दोपहर का सत्र	दोपहर 2.15 बजे से शाम 6.00 बजे तक (आवश्यकतानुसार शाम 6.30 बजे तक बढ़ाया जा सकता है)	चाय का अवकाश दोपहर 3.45 बजे से दोपहर 4.00 बजे तक

निम्नलिखित बिंदुओं को भी प्रतिभागियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए ताकि उनका कड़ाई से पालन किया जा सके:

1. प्रत्येक सत्र में समय की पाबंदी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सार है। प्रतिभागियों द्वारा समय की पाबंदी का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा तथा संबंधित विभागाध्यक्षों के ध्यान में लाया जाएगा।
 2. प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों द्वारा प्रश्नोत्तर/प्रश्नोत्तरी(quiz)/प्रस्तुतिकरण के सत्र होंगे। इसलिए, प्रतिभागियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम में अच्छी तरह से तैयार होकर आना चाहिए।
 3. प्रतिभागी सत्र के समय को ध्यान में रखते हुए अपनी आने-जाने की यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस संबंध में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
 4. प्रतिभागियों को सत्र के दौरान तथा आरसीबीकेआई परिसर में रहने के दौरान आधिकारिक शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, अवज्ञा को गंभीरता से लिया जाएगा तथा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उनके विभागाध्यक्षों को सूचित किया जाएगा।
- इस परिपत्र की विषय-वस्तु को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए इस संस्थान में आने वाले प्रतिभागियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

(प्राधिकार: माननीय महानिदेशक महोदय द्वारा 2.5.2025 को जारी आदेश)


वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी
कोर संकाय

सेवा में,

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, नागपुर के सभी उपयोगकर्ता कार्यालय (सूची के अनुसार)

Regional Capacity Building and Knowledge Institute, I A & A D, Nagpur

No. RCBKI/Nag/2025-26/Session timings/ 35

Date 06.05.2025

Circular**Subject : Session timings at RCBKI Nagpur**

Due to implementation of five days working week in RCBKIs, the session timings for all the training programs conducted at this institute will be as under:

Forenoon sessions	9.30 am to 1.15 pm	Tea break from 11.30 am to 11.45 am
Lunch Break 1.15 pm to 2.15 pm		
Afternoon sessions	2.15 pm to 6.00 pm(may be extended up to 6.30 pm, if required)	Tea break 3.45 pm to 4.00 pm

Following points may also be brought to the notice of the participants for strict compliance:

1. Punctuality in every session is an essence of the training programs. Non adherence to punctuality by the participants will be viewed seriously and will be brought to the notice of the concerned HoDs.
2. There will be sessions on question answer/quiz /presentation by participants in every training programme. Therefore, participants should come to the training programme well prepared.
3. Participants may plan their inward and outward journey keeping in view the session timings. No relaxation will be granted in this regard.
4. Participants must follow official decorum during the sessions and also during their stay at RCBKI premises. Any sort of misbehavior, disobedience will be viewed seriously and be reported to their HoDs for further necessary action.

Contents of this circular may be brought to the notice of the participants visiting this institute to attend training programs.

(Authority: Orders issued by the Hon`ble Director General on 2.5.2025)


Sr. Audit Officer 6.5.25
Core Faculty

To,
All User Offices of RCBKI Nagpur (as per the list)